

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost

NAME OF NEWSPAPERS FRIDAY, 24 FEBRUARY, 2023 | NEW DELHI

Mehrauli demolition: Govt land encroached upon, Google images show land vacant till 2014

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The DDA told the Delhi High Court on Thursday the government land in Ladha Sarai village, which falls within Mehrauli Archaeological Park, where the authorities have started a demolition drive, has been encroached upon and Google images of 2014 show it was completely vacant. The DDA said it is the mandatory and fundamental duty of citizens to ensure protection of the heritage as well as composite culture of the city, which obligation requires the authorities to protect all old monuments, archaeological sites and remains, and make them free from encroachments by unscrupulous people. The DDA's submissions were made in an affidavit filed in response to a petition by residents of Green Apartments in Mehrauli, which along with various

other properties, has been identified to be demolished as part of the 'anti-encroachment' drive. Justice Manmeet Pritam Singh Arora was informed by DDA counsel Shobhana Takiar that the agency has filed a detailed counter affidavit in the lead petition along with a demarcation report of December 2021.

The counsel said short affidavits of the DDA responding to facts of each of the petitions shall be filed by February 27. The high court, while listing the matter for March 9, said the interim order of maintaining status quo on the properties of those who have approached the court shall continue till then. Advocate Siddhant Kumar, the counsel for one of the petitioners, has said the building of his client is situated in Khasra No. 1151/3 in Mehrauli which is not mentioned in the demolition order but the demolition action

was still proposed against it.

"The petitioners have encroached on the government land of village Ladha Sarai which falls in Mehrauli Archaeological Park. It is submitted that as per the Google images of 2014, the land under reference was completely vacant," the DDA said in the affidavit.

"The land in question falls in Mehrauli Archaeological Park which forms part of the Southern Central Ridge where a large number of historical world famous monument exists which are protected/unprotected and maintained by the Archaeological Survey of India in order to protect Indian Heritage and Culture," it said. It said as per the land records maintained by DDA, the land that is the subject matter of this petition falls in Khasra number-209 and 210 of village Ladha Sarai and it was acquired and placed at the disposal of

the DDA by a July 1, 1975 notification.

"This land has been earmarked as Green in the Master Plan of Delhi since beginning and is to be developed and maintained as Green and to be conserved under the Mehrauli Heritage Zone. It is submitted that the area is notified as Reserved Forest vide Notification dated May 24, 1994 issued under the Indian Forest Act, 1927 being situated at the western side of the road going to Andheria More from Qutub," it said. The land owning agency said attempts were made by many people in the past to encroach upon this parcel of DDA land and it had been preventing such attempts of the land grabbers.

The DDA also referred to a July 2019 order of a division bench of the high court which had directed the authorities to take all necessary steps to ensure the Mehrauli Archaeologi-

cal Park is free from encroachment.

It said in compliance with various orders of the high court the Delhi government prepared a demarcation report on December 21, 2021 for the seam-line between village Ladha Sarai and Mehrauli. "After the demarcation report duly verified by the revenue department of Delhi government, DDA has issued notice on December 12, 2022 for removal of encroachments in Mehrauli Archaeological Park falling in village Ladha Sarai which is a government land," the DDA said. Regarding the sale deeds of land submitted by the petitioners, the authorities said such sale is void and barred under the provisions of Delhi Land Restriction on Transfer Act and other documents in the nature of property tax do not confer any right, title and interest in the property.

MPDST

पंजाब केसरी 24 फरवरी, 2023 ▶ शुक्रवार

सीवर में मौत: कृपया उसके लिए कुछ करें: हाईकोर्ट

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल सीवर में अपनी जान गंवाने वाले एक सुरक्षागार्ड के परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने में रुकावटों पर अप्रसन्नता प्रकट की और कहा कि उसने सफाईकर्मी को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इस मामले में अपील दायर की थी जिसे बाद में वापस ले लिया। बेंच ने अधिकारियों से मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की नसीहत दी। बेंच ने कहा कि मृतक एक बहादुर व्यक्ति था जिसने दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बेंच ने कहा कि कृपया उसे (उसके परिवार के सदस्य को) नौकरी दी जाए। हमें डीडीए पर तरस आता है। इस नेक पुरुष ने किसी को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और हम उसके

(उसके परिवार) लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कृपया कुछ कीजिए। सीवर की सफाई के लिए सफाईकर्मी नीचे उतरा था और वह बेहोश हो गया था। उसे बचाने के लिए एक सुरक्षा गार्ड भी नीचे गया और वह भी बेहोश हो गया। दोनों की मौत हो गई।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि मृतक की विधवा या उसकी ओर से किसी को समायोजित किया जाएगा एवं कुछ रोजगार दिया जाएगा। न्याय मित्र राजशेखर राव ने कहा कि पहले उनके संपर्क में रही गार्ड की विधवा के दो बच्चे हैं और ऐसा नहीं लगता है कि वे पढ़े-लिखे हैं, इसलिए उसे किसी अन्य तरीके से समायोजित किया जा सकता है। बेंच को बताया गया कि मृत सफाईकर्मी के परिवार को डीडीए ने नौकरी दी है। बेंच ने आदेश दिया कि दिवंगत रोहित (सुरक्षागार्ड) की विधवा को अनुकंपा नौकरी के सिलसिले में जिम्मेदार अधिकारी द्वारा हलफनामा दाखिल किया जाए। यह काम एक हफ्ते में हो।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER: नई दिल्ली। शुक्रवार • 24 फरवरी • 2023

राष्ट्रीय
सहारा

सुरक्षा गार्ड के परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी न देने पर हाईकोर्ट नाराज

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद मुंडका इलाके में एक सुरक्षा गार्ड की सीवर के अंदर जहरीली गैस से मौत हो जाने पर उसके परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं देने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उसने कहा कि मृतक ने एक मैनुअल मैला ढोने वाले को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि स्वर्गीय रोहित (सुरक्षा गार्ड) की विधवा को अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के संबंध में एक जिम्मेदार अधिकारी एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करें। उसने इसके साथ ही सुनवाई 27 मार्च के लिए स्थगित कर दी।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा एवं न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इस मामले में एक अपील दायर की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था और अधिकारियों से मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने के लिए

कहा था। पीठ ने कहा कि मृतक एक बहादुर दिल का इंसान था, जिसने दूसरे की जान बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। कृपया उसे नौकरी दें। हर समय मुआयजा व रोजगार देने में बाधाएं आती रहती हैं। हमें डीडीए के रवैये पर खेद है। इस सज्जन ने किसी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी।

सीवर सफाई के दौरान सफाईकर्मी को बचाते हुए हो गई थी सुरक्षा गार्ड की मौत परिजन को नौकरी देने की जानकारी दे डीडीए : हाईकोर्ट

एक मैला ढोने वाले को बचाने का प्रयास किया और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कृपया कुछ करें। पिछले साल 9 सितंबर को बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में एक सफाईकर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की सीवर के अंदर जहरीली गैस के कारण मौत हो गई थी। घटना उस समय हुई जब एक सफाईकर्मी सीवर साफ करने गया था और बेहोश हो गया। उसे बचाने गया एक सुरक्षा गार्ड भी बेहोश हो गया और दोनों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर स्वयं संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की थी।

THE HINDU

Google images show govt. land in Mehrauli encroached upon: DDA

Press Trust of India
NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) told the High Court on Thursday that government land in Ladha Sarai village, which falls within the Mehrauli Archaeological Park where the authorities have started a demolition drive, has been encroached upon and Google images of 2014 show it was completely vacant.

The land agency said it is the fundamental duty of citizens to protect the heritage as well as the composite culture of the city.

It requires the authorities to protect all old monuments, archaeological sites and remains, and make them free from encroachments by unscrupulous people.

The DDA's submissions were made in an affidavit filed in response to a peti-

tion by the residents of Green Apartments, which along with various other properties, has been identified to be demolished as part of the "anti-encroachment" drive.

Counter affidavit filed

Justice Manmeet Pritam Singh Arora was informed by the DDA's counsel Shobhana Takiar that the agency has filed a detailed counter affidavit in the lead petition along with a demarcation report of December 2021.

The counsel said short affidavits of the DDA responding to facts of each of the petitions shall be filed by February 27.

The High Court, while listing the matter for March 9, said the interim order of maintaining status quo on the properties of those who have approached the court would continue till then.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान

नई दिल्ली, शुक्रवार, 24 फरवरी 2023

S

DATED

सीलिंग पर वादा निभाए आम आदमी पार्टी : व्यापारी

मांग

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। नगर निगम का मेयर चुने जाने के बाद अब व्यापारी अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाने वाले हैं।

फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। अब फैसला उन्हीं को लेना है और निगम चुनाव से पूर्व किए गए वादे को निभाना है। फेडरेशन

15 भवनों में दुकानों को सील किया है निगम ने सदर और आसपास

ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा, मेयर से मुलाकात कर वादा याद दिलाएंगे

के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा का कहना है कि पार्टी ने चुनाव से पहले कहा था कि सीलिंग पर ठोस नीति बनाएंगे और व्यापारियों को सीलिंग के

जाल से मुक्ति दिलाएंगे। अब फैसला एमसीडी की नई मेयर को लेना है। इसलिए अब सबसे पहले व्यापारी उन्हीं से मिलकर अपनी मांगों को रखेंगे।

जनवरी में एमसीडी की टीम ने सदर बाजार स्थित जटवाड़ा और शिवाजी रोड की करीब 15 भवनों में स्थित दुकानों को सीज कर दिया था। एमसीडी का कहना था कि इन भवनों का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। जबकि व्यापारियों का कहना था कि डीडीए का मास्टर प्लान कहता है कि अगर किसी क्षेत्र में 70

फीसदी से अधिक भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं तो उस व्यावसायिक क्षेत्र ही माना जाएगा। जिन भवनों को सील किया गया है, उनकी रजिस्ट्री भी व्यावसायिक श्रेणी में हुई है लेकिन एमसीडी ने उनका तर्क नहीं माना। सदर बाजार के साथ ही अन्य बाजारों में भी सीलिंग, कन्वर्जन चार्ज जैसे कई बड़े मुद्दे हैं, जिन पर व्यापारियों को एक ठोस नीति के तहत काम होने की उम्मीद है। इसलिए अब जल्द ही व्यापारी अपने मांगों को निगम में शीर्ष नेतृत्व के सामने रखेंगे।

महरौली में 2014 के बाद हुए अवैध निर्माण : डीडीए

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। डीडीए ने गुरुवार को उच्च न्यायालय को बताया कि दक्षिणी दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क के अंतर्गत आने वाले लाडा सराय गांव में जिस जमीन पर बने मकानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई जा रही है, उस पर लोगों ने अतिक्रमण किया है। डीडीए ने न्यायालय से कहा है कि गूगल इमेज साफ पता चलता है कि 2014 तक जमीन खाली थी और उस पर कोई निर्माण नहीं था।

जस्टिस मनमोहन प्रीतम सिंह आरोड़ा के समक्ष डीडीए ने तोड़फोड़ के खिलाफ दाखिल याचिकाओं के जवाब में हलफनामा दाखिल करते हुए यह जानकारी दी है। इसमें डीडीए ने कहा कि नागरिकों का अनिवार्य और मौलिक कर्तव्य है कि वे अपनी विरासत के साथ ही शहर की समग्र संस्कृति की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही कहा है कि अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि वे सभी पुराने स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में रखा पक्ष

अवशेषों की रक्षा करें और उन्हें अतिक्रमण से मुक्त करें।

डीडीए की ओर से अधिवक्ता शोभना टाकियार ने हलफनामा दाखिल करते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई को जायज ठहराया है। न्यायालय में जवाब दाखिल करने के साथ ही दिसंबर 2021 में तैयार की गई सीमांकन रिपोर्ट भी पेश की है। डीडीए की हलफनामा पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। डीडीए को अगली सुनवाई तक महरौली इलाके में तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 16 फरवरी को अंतरिम आदेश पारित करते हुए अगले आदेश तक के लिए मकानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | शुक्रवार, 24 फरवरी

महरौली में डीडीए के बुलडोजर पर रोक बरकरार

नई दिल्ली : पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट महरौली में जिन संपत्तियों के खिलाफ डीडीए की तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगाई थी, वो फिलहाल बरकरार रहेगी। कोर्ट ने डीडीए को इन संपत्तियों के संबंध में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने के लिए गुरुवार का वक्त दिया और सुनवाई मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा कि तब तक अंतरिम आदेश जारी रहेंगे। सुनवाई के दौरान डीडीए के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं को डिमार्केशन रिपोर्ट सौंप दी गई है। सभी याचिकाओं के संबंध में संक्षेप में अपना जवाब देने के लिए उन्हें कुछ वक्त और चाहिए। जस्टिस मनमोहन सिंह आरोड़ा ने कहा कि आदेश के तहत उतर-प्रतिउत्तर के लिए जो टाइमलइन तय की गई है, उनका सभी पक्षों द्वारा पालन हो। मामले में अब अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023

Hindustan Times

NEW DELHI
FRIDAY
FEBRUARY 24, 2023

-----DATED-----

DDA: Notices issued as per demarcation report of govt

New Delhi: Delhi Development Authority told Delhi High Court on Thursday that the government land in Ladha Sarai village, which falls within Mehrauli Archaeological Park, where authorities have started a demolition drive, has been encroached upon and Google images of 2014 show it was completely vacant.

DDA further said, "It is the mandatory and fundamental duty of citizens to ensure protection of the heritage as well as composite culture of the city, which obligation requires the authorities to protect all old monuments, archaeological sites and remains, and make them free from encroachments by unscrupulous people."

The DDA's submissions were made in an affidavit filed in response to a petition by a group of residents in Mehrauli, whose properties, along with various other properties, have been identified to be demolished as part of the 'anti-encroachment' drive.

The demolition notices were issued in December 2022 on the basis of a demarcation report by Delhi government's revenue department in a PIL filed in 2015 by INTACH, said the DDA's affidavit dated February 22.

Regarding the sale deeds of land submitted by the petitioners, the agency said such sale is void and barred under the provisions of Delhi Land Restriction on Transfer Act and other documents in the nature of property tax do not confer any right, title and interest in the property.

DDA, on February 10, began a demolition drive in Mehrauli. On February 14, LG VK Saxena directed it to stop the anti-encroachment drive in Mehrauli and Ladha Sarai villages till further instructions. **TNN**

DDA defends Mehrauli action, cites govt's demarcation report

Richa Banka

richa.banka@htlive.com

NEW DELHI: The demarcation report of certain areas in Mehrauli was duly approved by the revenue department of the Delhi government in December 2021, based on which eviction notices were issued to the dwellers of Khasra 209, 210 of Ladha Sarai village last year, the Delhi Development Authority (DDA) told the Delhi high court on Thursday while defending its demolition drive in the designated "green" area.

DDA said that the state government prepared a demarcation report on December 21, 2021 on court orders to remove encroachments in the area while acting on a PIL by Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH) to protect 127 affected monuments there. Officials of the revenue department did not respond to requests for comment.



Several houses were demolished in Mehrauli. **SANCHIT KHANNA/HT**

To be sure, revenue minister Kailash Gahlot termed the demarcation drive flawed on February 11, and ordered the district magistrate (south) to carry out a fresh exercise. The demolition in Mehrauli took place from February 10-14, in the wake of a proposed G20 meeting at the archaeological park that has around 55 monuments under

the protection of DDA, the state archaeological department, and the Archaeological Survey of India. On February 14, the LG asked DDA to halt the demolition till further instructions. The Delhi government, too, strongly opposed the demolitions.

Officials of Delhi's landowning agency, however, insisted that the action was in conso-

nance with directions by the Delhi high court, which has ordered several times in the past that encroached land be cleared.

DDA told the high court on Thursday that demarcation at the site was carried out in the presence of revenue officials, DDA officials, and police.

The landowning agency said that during the demarcation process, markings at the site were made with yellow paint and pegs. "...after the demarcation report dated December 21, 2021 duly verified by the revenue department of GNCTD, DDA issued a notice dated December 12, 2022 for removal of encroachments in Mehrauli Archaeological Park," the DDA said.

On Thursday, justice Manmeet Pritam Singh Arora granted the petitioners time to file their rejoinder and posted the matter for hearing on March 9. The court also extended the status quo on the demolition till that date.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-----**दैनिक जागरण** नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2023 -----

बेदम गुणवत्ता से निकल रहा फ्लैटों का 'दम'

बवाना में फ्लैट खरीदते समय रहें **सावधान**, घटिया निर्माण सामग्री से बनी इमारत के पिलरों में अभी से आई दरारें



सोनी राणा • बाहरी दिल्ली

तीन वर्ष पहले बनकर तैयार हुई इमारतों के पिलर, दीवारों व सड़कों पर दरारें आ गई हैं। इमारतों की नींव में गंदा पानी भर रहा है। फायर सिस्टम जंग खा गया है। यह हाल है बवाना जी-8 की पाकेट-11 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के ईडब्ल्यूएस व एलआइजी फ्लैटों का। घटिया निर्माण सामग्री से बनाई गई चार मंजिला इमारतों का तीन वर्ष में यह हाल है तो भविष्य में क्या होगा। डीडीए व संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों व सरकार ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में यहां पर कभी भी हादसा हो सकता है।

किसी भी इमारत का सबसे जरूरी हिस्सा पिलर होता है। इसमें ही दरारें आ जाएं तो उसकी मजबूती कम हो जाती है। ऐसा ही हाल इन इमारतों में हुआ है। सूत्रों के अनुसार, दर्जन भर पिलरों में दरारें आई हैं। इसकी जानकारी जब अधिकारियों को हुई तो उन पिलरों की लीपापोती कर दी गई। जागरण टीम बृहस्पतिवार को जब इमारत में पहुंची तो पाया कि उन पिलरों की मरम्मत कर दी गई थी। इमारत के पिलरों पर लीपापोती के निशान साफ नजर आ रहे थे। लीपापोती के बाद पिलरों की चौड़ाई भी बढ़ गई है। इमारतों के नीचे खड़े होकर ऊपर की ओर देखने पर पता चलता है कि कहीं पर दीवार का हिस्सा बाहर है तो कहीं पर ज्वाइंट

• जी-8 की इमारत के पिलरों को रिपेयर कर की गई लीपापोती



बवाना स्थित जी-8 की पाकेट 11 में डीडीए की ओर से बनाई गई इमारत में आग बुझाने वाले उपकरणों में भी लगा जंग • जागरण

• घटिया निर्माण सामग्री से बनाई गई चार मंजिला इमारतों का बुरा हाल



इमारत के पिलर की दरार को मरम्मत कर ऊपर से किया गया ठीक • जागरण

• महाराष्ट्र की बीजी शिरके कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया निर्माण



जी8 पाकेट 11 में इमारत में आई दरार, पिलर की हो रही मरम्मत • सो-सुधी पाठक



बवाना स्थित जी8 की पाकेट 11 में डीडीए की ओर से बनाई गई इमारत • जागरण

अग्निशमन उपकरणों में लगा जंग

यहां लगे अग्निशमन उपकरणों में तीन वर्ष में ही जंग लग गया है। फायर होज रील कैबिनेट, छत पर लगी पानी की टंकी से फ्लैट में जाने वाली पाइप, सभी में जंग लग गया है। कंपनी का कहना है कि डीडीए से अनुमति लेकर सभी पाइप बदल देंगे।

लिफ्ट के नीचे भर जाता है पानी

घटिया ड्रेनेज सिस्टम के कारण इमारतों की नींव में पानी जाने से इमारत की दीवारों से पेंट झड़ गया है। फ्लैटों में काम करने वाले श्रमिकों के अनुसार, बवाना की कई इमारतों में लगाई गई लिफ्ट में नीचे तीन फीट तक पानी भी भर जाता है।

मैंच नहीं कर रहे हैं। कहीं पर कालम अंदर है तो कहीं बाहर। कहीं भी इंजीनियरिंग या सुपरविजन नजर नहीं आता। इस बारे में डीडीए से पक्ष मांगा गया लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। सूत्रों के अनुसार, बीते वर्ष डीडीए के उच्च अधिकारी फ्लैट का निरीक्षण करने पहुंचे थे। काम में लापरवाही देख

उन्होंने काम की देखरेख में लगाए गए संबंधित अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी।

हजारों फ्लैट बनकर तैयार: डीडीए की ओर से बवाना व नरेला में ईडब्ल्यूएस के दो हजार से ज्यादा फ्लैट बनाए गए हैं। एलआइजी के 10 हजार से ज्यादा फ्लैट बनाए गए हैं। महाराष्ट्र की बीजी शिरके

कंस्ट्रक्शन टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से ये फ्लैट बनाए जा रहे हैं। कंपनी की ओर से बवाना व नरेला में और भी सैकड़ों फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के एक फ्लैट को बनाने का कंपनी को साढ़े सात लाख व एलआइजी फ्लैट बनाने की लागत 10 लाख रुपये आती है।

2018-19 में फ्लैट बन गए थे। एक माह पहले कुछ पिलरों में दरार आ गई थी जिसे इंजीनियरों की देखरेख में ठीक करवा दिया गया है। दिल्ली के वातावरण की वजह से अग्निशमन उपकरणों में जंग लग गया है। इसे बदला जाएगा। पाकेट-11 के फ्लैट में सुरक्षा गार्ड डीडीए के तैनात हैं। इमारत अभी हैडओवर नहीं की गई है। फ्लैट में छोटे-मोटे कार्य अभी बाकी हैं।

सुनील बामन

जीएम (एचआर व जनसंपर्क) बीजी शिरके कंस्ट्रक्शन टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड